[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Notification

New Delhi, the 18th May, 2016

S.O..... (E)-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby, after obtaining the concurrence of the respective Chief Justices of the High Courts, designates the following Courts mentioned in the Table below as Special Courts for the purposes of trial of offences punishable under the Companies Act, 2013 with imprisonment of two years or more in terms of section 435 of the Companies Act, 2013, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	**Existing Court (2)**	**Jurisdiction as Special Court (3)**
1	Courts of Additional Special Judge, Anti-Corruption at Jammu and Srinagar	State of Jammu and Kashmir
2	Presiding Officers of Court No's. 37 and 58 of the City Civil and Sessions Court, Greater Mumbai	State of Maharashtra
3	Court of Principal District and Sessions Judge, Union territory of Dadra and Nagar Haveli at Silvassa.	Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
4	Court of District Judge-1 and Additional Sessions Judge, Panaji.	State of Goa
5	Court of Principal District and Sessions Judge, Ahmedabad (Rural), situated at Mirzapur, Ahmedabad.	State of Gujarat
6	9th Additional Sessions Judge, Gwalior Madhya Pradesh.	State of Madhya Pradesh
7	Court of Additional District and Session Judge, Port Blair, Andaman and Nicobar Islands.	Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
8	2nd Special Court, Calcutta.	State of West Bengal

2. The aforesaid Courts mentioned in column number (2) shall exercise the jurisdiction as Special Courts in respect of jurisdiction mentioned in column number (3).

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

18/05/2016

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

का.आ. ..... (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात्, निम्नलिखित न्यायालयों को कंपनी अधिनियम की धारा 435 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के मामले विचारण प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात् -

क्र.सं. (1)	विद्यमान न्यायालय (2)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (3)
1.	अपर विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, जम्मू और श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर राज्य
2.	नगर सिविल और सेशन न्यायालय, वृहद मुम्बई के न्यायालय संख्या 37 और 58 के पीठासीन अधिकारी	महाराष्ट्र राज्य
3.	प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिलवासा	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र
4.	जिला न्यायाधीश-1 और अपर सेशन न्यायाधीश, पणजी	गोवा राज्य
5.	प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, अहमदाबाद (ग्रामीण), मिर्जापुर में स्थित, अहमदाबाद	गुजरात राज्य
6.	9वां अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य
7.	अपर जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र
8.	2रा विशेष न्यायालय, कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल राज्य

2. स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित उपर्युक्त न्यायालय स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित अधिकारिता की बाबत विशेष न्यायालय के अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-I (खंड-IV)]

18/05/2016

अमरदीप सिंह भाटिया,

संयुक्त सचिव